छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर–2022 से जनवरी, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023 (पौष 14,1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखपरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार –

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री पुरूषोत्तम कंवर, मोहित राम, सदस्य, जिला– कोरबा अंतर्गत बरबसपुर में परिवहन नगर की स्थापना नहीं हो पाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्यु होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, जल संसाधन विभाग के संभाग क्रमांक–2 में मुआवजा वितरण राशि में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेस–वे का निर्माण गाईडलाईन के अनुरूप नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 05, भटगांव के सदस्य, श्री पारसनाथ राजवाड़े को वर्तमान सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 66, वैशाली नगर के सदस्य, श्री विद्यारतन भसीन को वर्तमान सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मारूटोलाकला में पीपरिया नदी पर रपटा कम सड़क निर्माण करने,

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गुरू गोविंद सिंह वार्ड स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला भवन का पुनर्निर्माण करने,

(3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला धमतरी अंतर्गत –

(i) ग्राम मरौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने,

(ii) ग्राम बगदेही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने,

(iii) ग्राम भेण्ड्रा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने,

(iv) ग्राम करेलीबड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने तथा

(v) ग्राम कोपेडीह से टिपानी मार्ग का पुनर्निर्माण करने,

(4) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम कसावाही में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम सम्बलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम कोड़ेगांव (बी) में पंचायत भवन में अहाता निर्माण करने,

(iv) रूद्री गंगरेल मार्ग से कन्या महाविद्यालय पहुंच मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण सहित पुलिया निर्माण करने,

(v) ग्राम सेमरा में देवरीनाले पर स्टापडेम निर्माण करने,

(vi) ग्राम सांकरा से पीपरछेड़ी (गा) मार्ग का नवीनीकरण करने,

(5) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम लछनपुर के समीप घुंडी नाले पर फोरलेन सहित उच्च स्तरीय नवीन पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम पिसौद में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम सिऊड़ में हाई स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम खैरा (महंत) से भांठापारा तक पुल–पुलिया सहित सड़क निर्माण करने तथा

(v) ग्राम हरदी (हरि) से हड़हामुहन तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक,2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 3 जनवरी, 2023